केवल माननीय सदस्यों हेतु

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

तथ्य पत्रक

(संदर्भ सेवा द्वारा संकलित)

पेयजल

(मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)

यह सामग्री केवल संदर्भ के लिए है। इसे संकलित करने में यथेष्ट सावधानी बरती गई है, तथापि किसी तथ्य या आंकड़े की त्रुटि के लिए विधान सभा सचिवालय दायित्वाधीन नहीं है।

पेयजल

देखा जाये तो हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी नही है, लेकिन पीने योग्य पानी केवल 1 प्रतिशत ही है। 97 प्रतिशत पानी समंदर में है, जो खारा है। 2 प्रतिशत पानी ग्लेशियर्स में है, जिसे कृत्रिम रूप से पिघलाना संभव नही है।

पृथ्वी पर जल हमें तीन प्रकार से प्राप्त होता है :–

1. तरल के रूप में समुद्र, नदियों, झरनों, तालाबों और भूमिगत स्त्रोतों से।
2. बर्फ के रूप में पहाड़ों और ध्रुवों पर।
3. वाष्प के रूप में बादलों से।

प्रत्येक जीवित प्राणी को पानी की आवश्यकता होती हैं। हमारे शरीर में 65 प्रतिशत पानी है। मानव शरीर में जल की उपयोगिता शरीर निर्माण व उसके अस्तित्व को बनाये रखने, रक्त को तरल करने, पाचन क्रिया संपन्न करने एवं शरीर में उत्पन्न विकारों को पसीने एवं मूत्र के रूप में बाहर निकालने में होती है।

यूं तो हमारे देश के प्रत्येक भू–भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, यहां तक कि देश के कई भू–भागों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है, किंतु गर्मियों के आते–आते जल के स्त्रोत सूखने लगते हैं। वर्ष भर बहने वाली नदियों का क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है, छोटी–छोटी नदियाँ और नालों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।

<u>पेयजल के स्त्रोत</u> :–

सतही जल स्त्रोत – वर्षा जल, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, नहरें, जलाशय एवं हिमनद।

भूमिगत जल स्त्रोत– कुएँ, नलकूप एवं बावड़ियाँ।

<u>पेयजल के स्त्रोतों में कमी के कारण</u>

पेयजल के स्त्रोतों में निम्नलिखित कारणों से कमी आ रही है :–

1. प्रति व्यक्ति पानी की खपत में बढ़ोत्तरी
2. भूजल में गिरावट
3. प्राकृतिक स्त्रोतों का जल प्रदूषित होना,
4. परंपरागत जल स्त्रोतों में कमी आना,
5. जलवायु में बदलाव की वज़ह से वर्षा जल में कमी आना,
6. अंधाधुंध पेड़ों की कटाई,
7. मृदा अपरदन

राष्ट्रीय जल नीति 2002 के प्रमुख बिंदु :–

1 सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिये जहाँ पेयजल के स्त्रोत का विकल्प नहीं है।
2 पेयजल सभी मानव जातियों और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिये।
3. भूमिगत जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिये उपाय करने।
4. धरातलीय और भूमिगत जल दोनों की गुणवत्ता के लिये नियमित जॉच होनी चाहिये। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।
5. दुर्लभ संसाधन के रूप में जल जागरूकता विकसित करनी चाहिये।

स्वजल धारा योजना :–

इस योजना का लाभ उठाने के लिये स्थानीय नागरिक समिति या पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में तालाब, बावड़ी, कुआँ व नलकूप निर्माण की योजना बनानी होगी, फिर कुल लागत की 10 प्रतिशत धनराशि बैंक में जमा कर राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिये जिला स्तर पर नियुक्त अधिकारी से 90 प्रतिशत खर्च की अनुदान राशि के लिये आवेदन करना होगा। इस योजना में राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ नहीं आएगा परन्तु उन्हें योजनाएँ बनाने और जनता को उनमें भागीदार बनने के लिए प्रेरित अवश्य करना होगा।

जल अभिषेक अभियान :–

जल अभिषेक अभियान के तहत मध्यप्रदेश की सूख चुकी तीन नदियों को पुनर्जीवित किया गया है :–

1. खरगौन जिले की रामकोला,
2. रतलाम जिले की जामड,
3. पन्ना जिले की मिढ़ासन नदी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन इस योजना के तहत् 50 जिलों में एक–एक नदी का चयन किया गया है।
इस योजना के तहत् कुछ जिलों में बड़े नालो को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है :–

क्रमांक	जिले का नाम	नाले का नाम
1	टीकमगढ़	पटेरिया
2	सतना	आम्हा
3	मंदसौर	करनाली
4	सीधी	धुन्ना
5	होशंगाबाद	बरगाह
6	सिंगरौली	बरदिया
7	हरदा	अरब
8	रीवा	सेतुबंध
9	उज्जैन	सिलारखेड़ी

नगरीय पेयजल व्यवस्था :–

भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के परिपालन में नगरीय पेयजल की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्थायी निकायों को सौंपी जा चुकी है। दिसम्बर, 2014 की स्थिति में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं (सीधी और झाबुआ) को छोड़कर शेष योजनाएं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित–संधारित की जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पेयजल प्रदाय में मध्यप्रदेश की स्थिति :–

नल से पेयजल प्रदाय में राष्ट्रीय औसत 30 फीसदी से ज्यादा है, एक ओर जहां गुजरात में सबसे ज्यादा 55 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत और राजस्थान में 27 प्रतिशत है, वही मध्यप्रदेश का औसत 9.9 फीसदी है।
देश में करीब 33 करोड़ लोग आज भी स्वच्छ पेयजल से महरूम हैं। भारत में यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखे तो पता चलेगा कि करीब 47 फीसदी घरों में ही नल कनेक्शन हैं। शहरों में यह प्रतिशत 71 फीसदी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 35 फीसदी हैं।

पेयजल प्रबंधन में राज्यों की स्थिति :–

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2011–12 के प्रदर्शन के आधार पर सभी राज्यों की सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के आधार पर 13 बिंदुओं पर रैकिंग तैयार की थी, उसमें मध्यप्रदेश का स्थान पाचवां था। इसमें प्रथम स्थान राजस्थान का था, इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और अरूणाचल प्रदेश थे।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंर्तगत भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

दिनांक 01.04.09 तक ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं में प्रावधान किया जाता था।
भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन नलजल योजनाओं के माध्यम वर्ष 2022 तक के लिये निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल प्रदाय उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत को बढ़ाकर दृष्टिपत्र 2018 के अनुसार 50 प्रतिशत तक जाया जा सके।

1 अप्रैल, 2014 की स्थिति :–

1. प्रदेश की कुल बसाहटों की संख्या (मुख्य ग्राम/मजरे/टोले/पारे)	127 (हजार में)
2. बसाहटें (मुख्य ग्राम/मजरे/टोले/पारे) जहाँ 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन के पुनरीक्षित मान से पेयजल उपलब्ध कराया गया।	97 (हजार में)
3. बसाहटें (मुख्य ग्राम/मजरे/टोले/पारे) जहॉ 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रति दिन के पुनरीक्षित मान से कम पेयजल उपलब्ध कराया गया।	30 (हजार में)

<u>बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड</u> :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 100 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

<u>बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति</u> :–

प्रदेश में विगत वर्षो में किये गये कार्यो के फलस्वरूप 01.04.2014 की स्थिति में कुल 127559 बसाहटों में से 97867 बसाहटें 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में हैं एवं 29692 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं, जिसमें जल गुणवत्ता से प्रभावित 1737 बसाहटें सम्मिलित हैं।

बसाहटों में पेयजल प्रदाय की स्थिति निम्नानुसार ग्राफ में दर्शाया गई है।

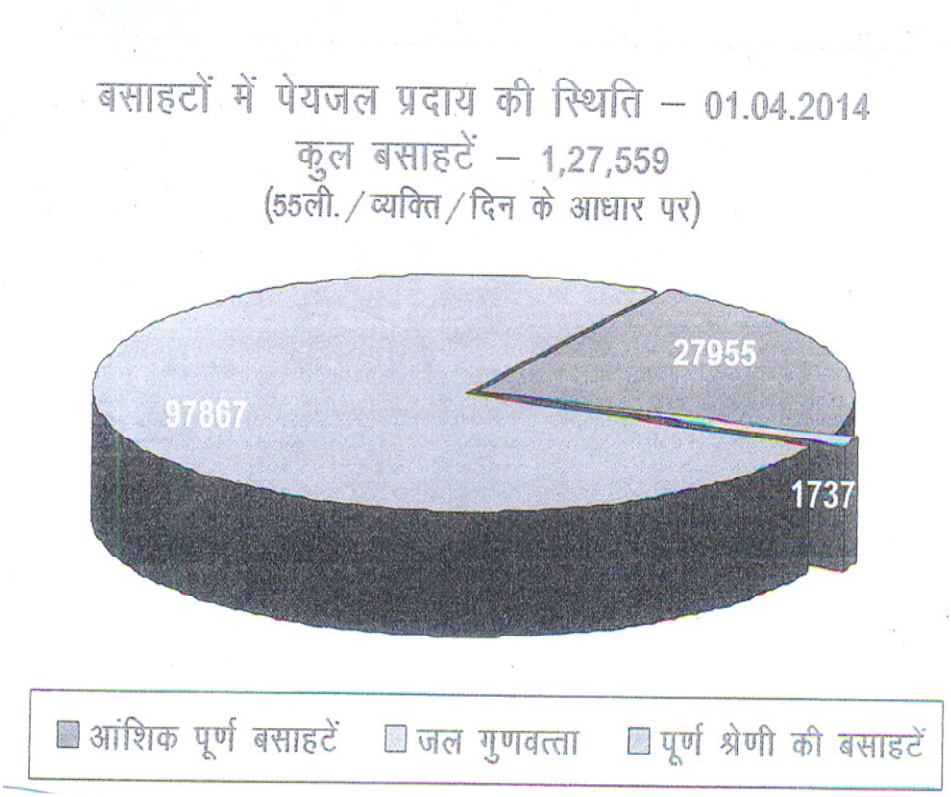

शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए अधिकाधिक जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

<u>हैण्डपंप योजनाओं का आच्छादन</u> :–

वर्ष 2014–15 में कुल 9500 बसाहटों के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 7591 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित है।

<u>नलजल योजनाओं से बसाहटों का आच्छादन</u> :–

वर्ष 2014–15 में 1500 नलजल योजनाओं से 2000 बसाहटों के आच्छादन के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2014 तक कुल 1433 बसाहटों/नलजल योजनाओं को पूर्ण किया गया है। शेष बसाहटों/योजनाओं में कार्य निरंतरित है।

वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में पूर्ण की गई बसाहटों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

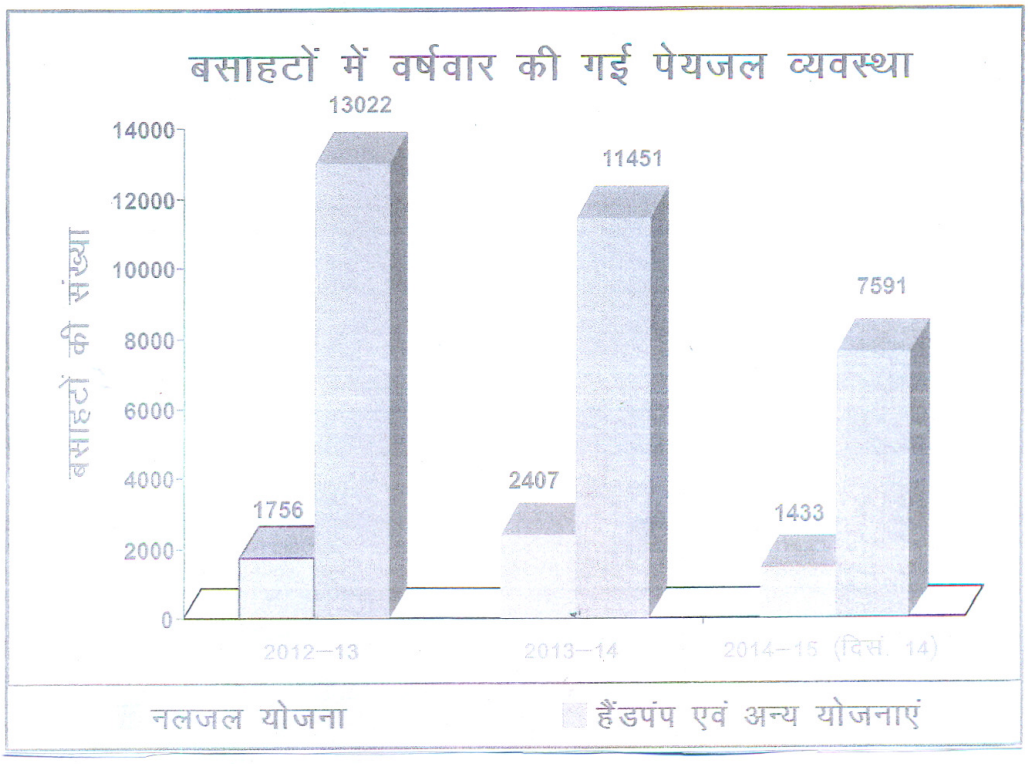

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :–

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्त्रोतों में रसायनों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। इनमें मुख्यतः फ्लोराइड व लौह तत्व की अधिकता पाई गई है। कुछ जिलों के पेयजल स्त्रोतों में लवणों की अधिकता के कारण खारे पानी की समस्या हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अंर्तगत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।
प्रदेश की कुल गुणवत्ता प्रभावित चिन्हित 9183 बसाहटों में से 7446 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल दिनांक 31.03.2014 तक उपलब्ध कराया जा चुका था। वर्ष 2014–15 में शेष 1737 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से माह दिसम्बर, 2014 तक कुल 637 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष में कार्य प्रगति पर हैं।

भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम :–

प्रदेश के अधोसंरचना एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते हुये शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध जल भंडारों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा, भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के कारण भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट हुई है। भू–जल के निरंतर दोहन से जल गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। प्रदेश के मालवा–निमाड़ क्षेत्र तथा ग्वालियर–चंबल, रीवा तथा सागर संभागों के अर्तगत आने वाले क्षेत्रों के भूजल स्तर में सतत् गिरावट परिलक्षित हुई हैं विशेष रूप से भूजल स्तर में गिरावट के कारण जहां पूर्व में कुंओं से निरंतर पेयजल उपलब्ध हो जाता था, वहीं आज गहरे नलकूपों का खनन आवश्यक हो गया है।

केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 में किये गये ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों के क्रमशः 24 विकास खंड अतिदोहित, 4 विकास खंड दोहित तथा 67 विकासखंड अर्द्धदोहित श्रेणी में है। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संर्वधन करना अत्यंत आवश्यक है विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है। विकास खंडों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

जिला	विकास खण्डों के नाम		
	क. अतिदोहित	क. दोहित श्रेणी	क. अर्द्धदोहित श्रेणी
बड़वानी	**1 पानसेमल**		**1 राजपुर** **2 ठीकरी**
धार	**2 बदनावर** **3 धार** **4 धरमपुरी** **5 नालछा**		**3 मनावर** **4 तिरला**
इंदौर	**6 इंदौर** **7 सांवेर** **8 देपालपुर**		**5 महू**
मंदसौर	**9 मंदसौर** **10 सीतामऊ**		**6 मल्हारगढ़** **7 भानपुरा**

जिला	विकास खण्डों के नाम		
	क्र. अतिदोहित	क्र. दोहित श्रेणी	क्र. अर्द्धदोहित श्रेणी
रतलाम	11 जावरा 12 पिपलोदा 13 रतलाम 14 आलोट		8 सैलाना
शाजापुर	15 मोमन बड़ोदिया 16 शुजालपुर		9 कालापीपल 10 शाजापुर
उज्जैन	17 उज्जैन 18 बड़नगर 19 घटिया		11 महिदपुर 12 खाचरौद
देवास	20 देवास 21 सोनकच्छ		13 खातेगांव
आगर	22 नलखेड़ा 23 सुसनेर	1 आगर	14 बड़ोद
सतना	24 रामपुर बघेलान	2 अमरपाटन 3 सोहावल	15 नागौद 16 मैहर
नरसिंहपुर		4 नरसिंहपुर	17 गोटेगांव 18 करेली 19 चॉवरपाठा
भोपाल			20 फंदा 21 बैरसिया
बैतूल			22 बैतूल
बुरहानपुर			23 बुरहानपुर
छिन्दवाड़ा			24 छिन्दवाड़ा
छतरपुर			25 छतरपुर 26 राजनगर 27 नौगांव 28 बक्सवाहा 29 बड़ा मलहरा
खरगौन			30 खरगौन 31 महेश्वर 32 बड़वाहा
खंडवा			33 छेगांव माखन
नीमच			34 जावद 35 नीमच
रीवा			36 गंगेव 37 सिरमौर
सीधी			38 सीधी
सीहोर			39 सीहोर 40 आष्टा
जबलपुर			41 शहपुरा
रायगढ़			42 नरसिंहगढ़ 43 खिलचीपुर 44 सारंगपुर 45 ब्यावरा
ग्वालियर			46 मुरार

जिला	विकास खण्डों के नाम		
	क्र. अतिदोहित	क्र. दोहित श्रेणी	क्र. अर्द्धदोहित श्रेणी
शिवपुरी			**47 खनियादाना** **48 करेरा** **49 नरवर** **50 बदरवास** **51 पिछोर**
दतिया			**52 दतिया**
गुना			**53 गुना**
मुरैना			**54 मुरैना** **55 कैलारस** **56 सबलगढ़**
पन्ना			**57 अजयगढ़**
टीकमगढ़			**58 बल्देवगढ़** **59 निवाड़ी** **60 टीकमगढ़** **61 पलेरा** **62 जतारा**
सागर			**63 बंडा** **64 सागर** **65 रेहली**
दमोह			**66 पथरिया** **67 हटा**

<u>प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में स्थापित हैंडपंप एवं नल जल प्रदाय योजनाएं</u> :–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नल जल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः–

<u>स्थापित हैंडपंप की स्थिति</u> :–

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपंप**	**531217***
2.	चालू हैंडपंप	**509825**
3.	कुल बंद हैंडपंप	**21392**
3.1	जलस्तर कम होने से बंद हैंडपंप	**9570**
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	**6995**
3.3	गुणवत्ता एवं अन्य कारणों से बंद किये गये हैंडपंप	**1027**
3.4	साधारण खराबी से बंद	**3800**

*उक्त संख्या में अन्य विभागों/स्थानीय विकास निधि **47900** स्थापित हैंडपंप भी सम्मिलित हैं।

पानी की रसायनिक अशुद्धियां

फ्लोरोसिस नियंत्रण :–

पेयजल में 1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है। जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव ही किया जा सकता हैं। अब तक प्रदेश की कुल 1.27 लाख बसाहटों में से प्रदेश के 27 जिलों की 6746 बसाहटों के 11460 स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानदण्ड से अधिक पाई गई हैं। फ्लोराइड प्रभावित ऐसी 6028 बसाहटों में पेयजल के सुरक्षित स्त्रोत भी उपलब्ध करा दिये गये हैं, शेष 718 बसाहटों में आवश्यकतानुसार प्रदूषित स्त्रोतों के स्थान पर सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु वैकल्पिक योजनाओं के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

खारेपानी के नियंत्रण की योजनायें :–

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर हैं। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।
प्रदेश के 15 जिलों – भिण्ड, मुरैना, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रायसेन, रतलाम, बालाघाट, सीहोर, राजगढ़, देवास, धार, श्योपुर, दतिया एवं छतरपुर के 799 ग्रामों के 1889 भू–जल स्त्रोतों में खारेपन की समस्या पायी गयी हैं। इन बसाहटों में से 758 ग्रामों/बसाहटों में पेयजल के वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराये गये हैं। खारे पानी से प्रभावित शेष 41 ग्रामों/बसाहटों में भी आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जाकर क्रियान्वित की जा रही हैं।

लौहतत्व की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में लौह तत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता हैं। प्रदेश के 12 जिलों – सीहोर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, नीमच, छतरपुर, दतिया, छिंदवाडा, बालाघाट, उमरिया, सिवनी एवं श्योपुर की 596 बसाहटों के 884 स्त्रोत लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित पाए गए हैं। पेयजल में लौह तत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर हैं। इन अधिकांश बसाहटों में प्रायः वैकल्पिक जल प्रदाय के सुरक्षित स्रोत उपलब्ध हैं एवं जहां सुरक्षित जल प्रदाय की मात्रा मानदण्डों से कम हैं, वहां लौह तत्व प्रभावित जल स्त्रोतों पर लौह निष्कर्षण संयंत्र स्थापित कर शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है।

नाइट्रेट की अधिकता का निराकरण :–

पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर हैं। यह प्रायः चट्टानों, खाद एवं प्रदूषण के कारण पेयजल स्त्रोतों में प्रवेश करता हैं। इसकी अधिकता से बच्चों में नीलेपन का रोग उत्पन्न हो सकता हैं।
यह अधिकता प्रदेश के 11 जिलों की 302 बसाहटों के 446 स्त्रोतों में पाई गई हैं, किंतु इन प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल के वैकल्पिक स्त्रोत भी उपलब्ध हैं, जिनसे सुरक्षित पेयजल प्राप्त किया जा रहा हैं।

रासायनिक अशुद्धि का प्रकार	प्रदेश की कुल संख्या में से प्रभावित का प्रतिशत	
	ग्राम/बसाहट	स्त्रोत
फ्लोराइड आधिक्य	1.76 %	2.31 %
खारापानी आधिक्य	0.34 %	0.21 %
लौह तत्व आधिक्य	0.38 %	0.17 %
नाइट्रेट आधिक्य	0.19 %	0.13 %

<u>जल–परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण</u> :–

ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल प्रदाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल–परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। प्रदेश में 50 जिला स्तरीय तथा 105 उपखण्ड स्तरीय जल–परीक्षण प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित परीक्षण किये जाते हैं। उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2014–15 में 292671 पेयजल नमूनों का परीक्षण किया गया हैं। फील्ड टेस्ट–किट के माध्यम से इसके अतिरिक्त 237004 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना :–

1. प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों कि लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था हैं।

2. निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के अंतर्गत वर्तमान में 103 नगरीय निकायों को कुल रूपये 1357.86 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिसम्बर, 2014 तक रूपये 124.48 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत वर्षो में किये गये कार्यो की प्रगति :–

वर्ष	खनित नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या
2011–12	10347	9194
2012–13	12841	11233
2013–14	11206	9886
2014–15 (माह दिसम्बर, 14 तक)	**7693**	**6810**

पेयजल के लिए जल दर :–

शासन ने पत्र क्रमांक 29/31/99/म/31/83 दिनांक 14 जनवरी, 2000 द्वारा अधिसूचना जारी कर निगम और नगरों में जल आपूर्ति की दरों को अतिष्ठित करते हुए नगरीय निकायों एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा घरेलू उपयोग के लिये विभाग द्वारा निर्मित जल स्त्रोतों से जल प्रदाय की दर 20 पैसे प्रति हजार लीटर (प्रति घन मीटर) निर्धारित की हैं। उक्त दर 1/4/2000 से प्रभावशील हैं एवं इसमें प्रति वर्ष 2 पैसे (दो पैसे) की वृद्धि होगी। अन्य दरें मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 के अनुसार लागू हैं।

भू–जल सर्वेक्षण इकाई :–

मध्यप्रदेश के जल संसाधन विभाग के अंर्तगत भूजल सर्वेक्षण संरचना द्वारा सन 1970 से भूजल के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा हैं। इस संरचना के अधीन अधीक्षण यंत्री, भूजल सर्वेक्षण मंडल, भोपाल जो कि चार संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय उज्जैन, सागर, ग्वालियर और खण्डवा तथा 33 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों तथा रासायनिक प्रयोगशालाऐं सागर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल के साथ भूजल संवर्धन, भूजल विकास एवं जल विश्लेषण के कार्य का निष्पादन कर रहा हैं। इसके अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री सर्वे एवं अनुसंधान मण्डल जबलपुर तीन संभागीय वरिष्ठ भूजल विद कार्यालय जबलपुर, बालाघाट, रीवा तथा 14 जिला भूजल सर्वेक्षण इकाईयों के साथ एवं रसायनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जबलपुर, बालाघाट एवं रीवा में भूजल संवर्धन एवं जल विश्लेषण के कार्य का निष्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा हैं।

भूजल सर्वेक्षण संरचना का नियमित कार्य :–

प्रदेश में पूर्व से प्रत्येक जिले में 50 स्थायी अवलोकन कूप भूजल स्तर का मापन करने के लिये चुने गये थे किन्तु इन कूपों द्वारा पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नही होने के कारण एवं भूजल स्तर का दोहन अत्यधिक होने की वजह से प्रत्येक जिले में 100 स्थायी अवलोकन कूपों को स्थापित किया गया। जल संसाधन विभाग की भूजल सर्वेक्षण संरचना के अंतर्गत कुल 3700 स्थायी अवलोकन कूप हैं। इस संरचना द्वारा भूजल स्थल मापन का कार्य वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात् किया जाता है। 1 जनवरी से 10 जनवरी (रबी मौसम) 10 मई से 20 मई (वर्षा पूर्व) 20 अगस्त से 30 अगस्त (वर्षा ऋतु) 1 नवम्बर से 10 नवम्बर (वर्षा पश्चात्) 540 पीजोमीटर जो कि जल विज्ञान परियोजना प्रथम में निर्माण किये गये थे इनका भी मापन कार्य किया जा रहा हैं।

भूजल अधिनियम लागू होने की तैयारी :–

मध्यप्रदेश में हो रहे अंधाधुंध भूजल के दोहन को रोकने के लिये नलकूपों के अनियंत्रित खनन को किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित करने के लिये भूजल सर्वेक्षण संरचना द्वारा भारत सरकार से प्राप्त मॉडल बिल 1996 के आधार पर मध्यप्रदेश के भूजल अधिनियम का प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्तुत किया जा चुका हैं। इस भूजल अधिनियम को लागू करने के लिये जल संसाधन विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों से अभिमत देने के लिये लिखा है एवं कुछ विभागों से इस संबंध में अभिमत प्राप्त हो गये हैं सभी विभागों से इस पर अभिमत प्राप्त होते ही भूजल नियंत्रण एवं नियमन अधिनियम शासन द्वारा लागू करने की कार्यवाही की जावेगी।

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग :–

औद्योगिक दूषित जल स्त्रोतों की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2013–14 में कुल 4141 तथा 2014–15 में दिसम्बर तक 2733 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये।

सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना :–

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नल जल प्रदाय योजना नहीं है एवं जल की गुणवत्ता भी उपयुक्त नहीं है ऐसे क्षेत्रों में नवीन तकनीक पर आधारित सामुदायिक जल शुद्धिकरण/उपचार संयंत्र की स्थापना पीपीपी मोड पर की जा रही हैं। इस हेतु प्रदेश के धार जिले में 4 गांव लेबड़, बंददेदी, जाजमखेड़ी एवं बदग्यार दमोह जिले के 3 गांव किशनगंज, जैरठ एवं बंदकपुर तथा मण्डला जिले के 3 गांव मोगांव, सेमरखापा एवं पोंडीमहाराजपुर का चयन जिला प्रशासन के माध्यम से कर, प्रायोगिक तौर पर कुल 10 सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों की स्थापना हेतु फर्म का चयन कर उक्त संयंत्र ग्राम की जनसंख्या अनुसार 500 लीटर प्रति घंटा की क्षमता के इस वित्तीय वर्ष में 10 वर्षों के लिये पीपीपी मोड पर स्थापित किये गये। योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत/जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया हैं।

बजट

राज्य आयोजना के अंतर्गत :–

वर्ष 2011–12 के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की योजना सीमा 39394.74 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अंर्तगत कुल रु. 39624.08 लाख का बजट स्वीकृत किया गया एवं इसके विरूद्ध कुल राशि रुपये 37642.87 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2012–13 के लिये विभाग की योजना सीमा 42546.67 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अंर्तगत कुल रु. 40825.57 लाख उपलब्ध कराये गये तथा जिसके विरूद्ध कुल रुपये 38216.89 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2013–14 के लिये विभाग की योजना सीमा रूपये 62680.00 लाख निर्धारित की गई। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अंतर्गत कुल रु. 52838.71 लाख उपलब्ध कराये गये तथा जिसके विरूद्ध कुल रुपये 46845.83 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2014–15 के लिये विभाग की योजना सीमा रु. 137789.03 लाख निर्धारित की गई। राज्य योजना आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 की निर्धारित योजना सीमा के अंर्तगत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद (राज्यांश) के अंतर्गत रु. 44887.00 लाख उपलब्ध कराये गये तथा जिसके विरूद्ध कुल रु. 29508.71 लाख (राज्यांश मद के अंतर्गत) व्यय किये गये।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रूपये 39273.50 लाख उपलब्ध कराये गए। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरूद्ध कुल राशि रूपये 36465.04 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कुल राशि रूपये 2182.61 लाख प्राप्त हुई थी, जिसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 1806.17 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रूपये 56416.33 लाख उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरूद्ध कुल रूपये 41188.49 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कुल राशि रूपये 2486.04 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 1467.06 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रूपये 60567.26 लाख उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित थी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरूद्ध कुल राशि रूपये 47629.27 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कुल राशि रूपये 3174.15 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 1879.24 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु रूपये 50351.14 लाख उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरूद्ध कुल राशि रूपये 29034.83 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कुल राशि रूपये 3134.95 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित) जिसके विरूद्ध कुल राशि रूपये 1212.59 लाख व्यय किये गये।

बाहय सहायता प्राप्त योजनाएं :–

प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हैं।
इस योजना का क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जा रही हैं। परियोजना के संपूर्ण भौतिक कार्य पूर्ण करने की अवधि दिसम्बर, 2013 तक थी।

परियोजना के अंर्तगत वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार है :–

क्रमांक	विवरण	राशि (रु. करोड़ में)
1	एडीबी से प्राप्त ऋण	979.90
2	मध्यप्रदेश शासन का अंशदान	282.72
3	नगर निगम का अंशदान	224.69
4	यू.एन.हैबीटेट का अंशदान	2.02
	योग	**1489.33**

परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिसम्बर, 2013 तक कुल रूपये 132.04 करोड़ का व्यय हुआ हैं। इस प्रकार परियोजना के अंतर्गत अभी तक कुल रूपये 1368.34 करोड़ का व्यय किया जा चुका हैं।

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम :–

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंर्तगत सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौण्ड, डग आउट पौण्ड एवं बोरी बंधान तथा भू–जल संर्वधन हेतु परकोलेशन टैंक, कुण्डी, कुइंया, कुंआ/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाईक आदि का निर्माण किया जाता हैं।

जल समस्या का समाधान

1. जन भागीदारी से सहेजे बूँद–बूँद।
2. जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार।
3. जल संवर्धन/संरक्षण की पराम्परागत प्रणाली को पुनर्जीवित करना।
4. नदी जोड़ो अभियान।
5. नदियों और नालों पर चैक बाँध बनाये जाए।
6. पानी को इधर से उधर ले जाने वाली योजनाओं का विकास किया जाये।
7. खारे पानी को पीने योग्य बनाना।

8. कम से कम पानी का उपयोग करें
9. पानी को रिसाईकिल करें
10. जल प्रदूषण को कम करें
11. नदियों एवं तालाबों को प्रदूषण मुक्त रखना।
12. भू–जल दोहन अनियंत्रित तरीके से न ही, इसके लिए आवश्यक कानून बनाना चाहिए।
13. औद्योगिक इकाईयों से बाहर निकलने वाले जल को उपचारित करने के बाद ही बाहर निकाला जाये।

संदर्भ स्रोत : –

1. विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2013–2014, 2013–2014 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
2. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2013–2014 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
3. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2014–2015 नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
4. विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन 2014–2015 जल संसाधन विभाग
5. प्रशासकीय प्रतिवेदन 2014–2015 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6. दैनिक समाचार पत्र 'चौथा संसार' दिनांक 09.04.2007
7. दैनिक समाचार पत्र स्वदेश, दिनांक 27.04.2008
8. दैनिक समाचार पत्र 'जनसत्ता' दिनांक 20.05.2012
9. दैनिक समाचार पत्र 'नवदुनिया' दिनांक 11.08.2012
10. जल संकट कारण और निवारण – श्री प्रेमचन्द मधुवाल
11. जल संरक्षण एवं प्रबंधन– डॉ शैलेन्द्र सिंह तोमर
12. शासकीय डायरी वर्ष 2015